रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25032022-234480
CG-DL-E-25032022-234480

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1289] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 25, 2022/चैत्र 4, 1944
No. 1289] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 25, 2022/CHAITRA 4, 1944

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 मार्च, 2022

का.आ. 1331(अ).—प्रारुप अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 4048 (अ), तारीख 11 नवम्बर, 2020 द्वारा प्रकाशित की गई थी जिसमें ऐसे सभी व्यक्तियों से, जिनकी उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना को अन्तर्विष्ट करने वाली राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं, साठ दिन की अवधि के भीतर आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और, उक्त प्रारूप अधिसूचना को अन्तर्विष्ट करने वाली राजपत्र की प्रतियां जनता को तारीख 11 नवम्बर, 2020 को उपलब्ध करा दी गई थी;

और, उक्त प्रारुप अधिसूचना के प्रत्युत्तर में व्यक्तियों और पणधारियों से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर मंत्रालय द्वारा विचार किया गया था;

नरगू वन्यजीव अभयारण्य हिमाचल प्रदेश के मंडी और कुल्लू जिले में मंडी से लगभग 55 किलोमीटर, जोगिंदर नगर से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है जो विभिन्न स्थानिक वनस्पति और जीवजंतु को आश्रय प्रदान करता है। अभयारण्य पारिस्थितिकी, जीवजंतु, वनस्पति, भू-आकृतिवैज्ञानिक और मनोरंजनात्मक और अनुसंधान एवं शैक्षिक परिप्रेक्ष्य से काफी महत्त्वपूर्ण है। अभयारण्य का कुल क्षेत्रफल 132.37 वर्ग किलोमीटर है;

और, नरगू वन्यजीव अभयारण्य के अंतर्गत आर्द्र देवदार वन, 12 सी1 (सी), आर्द्र शीतोष्ण पर्णपाती वन 12/सी1(ई), खरसू ओक वन 12/सी2(ए), उप-उष्णकटिबंधीय चीड पाइन वन, पश्चिमी मिश्रित शंकुधारी वन, पश्चिमी हिमालय उप-अल्पाइन देवदारू वन आते हैं । अभयारण्य में महत्त्वपूर्ण वृक्ष प्रजातियों में देवदार (*केदरूस देवदार),* फर *(अबिइस पिंदरोप),* खरसू (*क्वेरसुस सेमिकारपीफोलीअ),* प्रूनस (*प्ररूनस अवियम*), *मापले* (*अकेर स्पा*), *जुगलान* (*जुगलान रेलगिया एल*), रोडोडेंड्रोन (*रोडोडेंड्रोन अरबोरेतुम),* केलटीस (*केल्टिस ऑस्ट्रलिस एल*), फिग (*फिकस पालमेट),*बान (*क्वेरसुस लुकट्रैकोफोरा*), आदि पाए जाती हैं;

और, नरगू वन्यजीव अभयारण्य वन्यजीव की विशेष विविधता के वास के लिए जाना जाता है। अभयारण्य में मुख्य प्रजातियों में संकटापन्न प्रजातियों जैसे सामान्य तेंदुआ (*पेन्थेरा प्रज्यूस*), मुंजक (*मुनटीक्स मुनतजक*), काला भालू (*सेलेनारक्टस थिबेटेनस*), घोराल (*नेमोराएडस गोरल*), सियार (*कैनिस ऑरियस*), हिमालयन येलो थ्रोटेड मार्टेन *(मार्टेस फ्लाविगुला),* हिमालयन सिवेट (*पगोमा लारवाटा*), फ्लाइंग गिलहरी (*पेटोरिस्टा पेटोरिस्टा*) पाए जाते हैं। यह हिमाचल प्रदेश में पाए जाने वाले फेजेंट की सात प्रजातियों में से चार प्रजातियों का वास है और इसे भारत में हिमालयन क्षेत्र में प्रतिबंधित स्थानिक असुरक्षित प्रजातियों हिमालयी मोनल, के लिए महत्त्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र के रूप में मान्यता दी गई है। इसके अलावा अन्य पक्षी, सफेद क्रेस्टेड कलीज, चूकोर, काला और ग्रे तीतर है। इसके अलावा सरीसृप, सांप, मॉनीटर छिपकली सामान्य रूप से पाए जाते है;

और, नरगू वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर के क्षेत्र को, जिसका विस्तार और सीमाएं इस अधिसूचना के पैरा 1 में विनिर्दिष्ट हैं, पारिस्थितिकी, पर्यावरणीय और जैव-विविधता की दृष्टि से पारिस्थितिकी संवेदी जोन के रूप में सुरक्षित और संरक्षित करना तथा उक्त पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उद्योगों या उद्योगों की श्रेणियों के प्रचालन तथा प्रसंस्करण को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् पर्यावरण अधिनियम कहा गया है) धारा 3 की उपधारा (1) तथा उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) एवं उपधारा (3) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश राज्य के मंडी और कुल्लू जिला के नरगू वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के चारों ओर 0 (शून्य) से 1.00 किलोमीटर तक विस्तारित क्षेत्र को पारिस्थितिकी संवेदी जोन (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् पारिस्थितिकी संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात्:-

1. **पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार और सीमाए**-(1) पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार 0 (शून्य) से 1.00 किलोमीटर तक भिन्न रूप में फैला हुआ है और पारिस्थितिकी संवेदी जोन का क्षेत्रफल 50.0425 वर्ग किलोमीटर है।

   टिप्पण: *पारिस्थितिकी संवेदी जोन की शून्य सीमा उत्तर की ओर धौलाधार वन्यजीव अभयारण्य और पूर्व की ओर खोखण वन्यजीव अभयारण्य के साथ नरगू वन्यजीव अभयारण्य के जारी रहने के कारण है।*

(2) नरगू वन्यजीव अभयारण्य और इसके पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण **उपाबंध-I** के रूप में संलग्न है।

(3) सीमा विवरण और अक्षांश और देशांतर के साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन को सीमांकित करते हुए नरगू वन्यजीव अभयारण्य के मानचित्र **उपाबंध–IIक** और **उपाबंध-IIख** के रूप में संलग्न है।

(4) नरगू वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा के भू-निर्देशांकों की सूची **उपाबंध-III** में दी गई है।

(5) प्रस्तावित पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले राजस्व ग्रामों की सूची, मुख्य बिंदुओं पर उनके भू-निर्देशांकों के साथ **उपाबंध -IV** के रूप में संलग्न है।

2. पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना– (1) राज्य सरकार, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के प्रयोजनों के लिए राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और राज्य के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के लिए इस अधिसूचना में दिए गए अनुबंधों का पालन करते हुए आंचलिक महायोजना तैयार करेगी और राज्य में सक्षम प्राधिकारी द्वारा सम्यक रुप से अनुमोदित किया जाएगा।

(2) राज्य सरकार द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आचंलिक महायोजना ऐसी रीति से जो इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए गए हैं, के अनुसार तथा सुसंगत केंद्रीय और राज्य विधियों के अनुरुप और केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गनिर्देशों, यदि कोई हों, द्वारा तैयार होगी ।

(3) आंचलिक महायोजना, उक्त योजना में पारिस्थितिकी और पर्यावरणीय विचारों को समाकलित करने के लिए राज्य सरकार के निम्नलिखित विभागों के परामर्श से तैयार होगी, अर्थात्:-

(i) पर्यावरण;

(ii) वन और वन्यजीव;

(iii) शहरी विकास;

(iv) पर्यटन;

(v) नगरपालिका विभाग;

(vi) राजस्व विभाग;

(vii) कृषि;

(viii) ग्रामीण विकास;

(ix) सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण;

(x) हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड;

(xi) पंचायती राज; और

(xii) लोक निर्माण विभाग।

(4) आंचलिक महायोजना अनुमोदित विद्यमान भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई निर्बंधन अधिरोपित नहीं करेगी जब तक कि इस अधिसूचना में इस प्रकार विनिर्दिष्ट न हो और आचंलिक महायोजना सभी अवसंरचना और क्रियाकलापों में, जो अधिक दक्षता और पारिस्थितिकी अनुकूल हों, का संवर्धन करेगी ।

(5) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भूतल जल के प्रबंधन, मृदा और नमी संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी और पर्यावरण से संबंधित ऐसे अन्य पहलुओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, के लिए उपबंध होंगे ।

(6) आंचलिक महायोजना विद्यमान और प्रस्तावित भूमि उपयोग विशेषताओं के ब्यौरों से अनुसमर्थित मानचित्र के साथ सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और नगरीय बस्तियों, वनों के प्रकार और किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, हरित क्षेत्र जैसे उद्यान और उसी प्रकार के स्थान, उद्यान कृषि क्षेत्र, फलोउद्यान, झीलों और अन्य जल निकायों का अभ्यांकन करेगी।

(7) आंचलिक महायोजना पारिस्थितिकी संवेदी जोन में विकास को विनियमित करने और पैरा-4 में सारणी में सूचीबद्ध प्रतिषिद्ध और विनियमित क्रियाकलापों का अनुपालन करने के लिए होगी और स्थानीय समुदायों की जीविका को सुरक्षित करने के लिए पारिस्थितिकी अनुकूल विकास को सुनिश्चित और उसकी अभिवृद्धि भी करेगी।

(8) आंचलिक महायोजना प्रादेशिक विकास योजना की सह विस्तारी होगी ।

(9) राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित आंचलिक महायोजना, मानीटरी समिति के लिए एक संदर्भ दस्तावेज होगी ताकि वह इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार निगरानी के अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सके।

3. **राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय.-** राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात्:-

(1) **भू-उपयोग.–** (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में वनों, उद्यान कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, मनोरंजन के प्रयोजनों के लिए चिन्हित किए गए पार्कों और खुले स्थानों का वाणिज्यिक या आवासीय या औद्योगिक संबद्ध विकास क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं होगा:

परंतु पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर इसमें विनिर्दिष्ट प्रयोजनों से भिन्न प्रयोजनों के लिए कृषि और अन्य भूमि का संपरिवर्तन मानीटरी समिति की सिफारिश पर और यथा लागू और क्षेत्रीय नगर योजना अधिनियम और केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के अन्य नियमों तथा विनियमों के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से, और इस अधिसूचना के उपबंधों द्वारा स्थानीय निवासियों की निम्नलिखित आवासीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, जैसे-

(i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ़ करना तथा नई सड़कों का संनिर्माण;

(ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण;

(iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;

(iv) कुटीर उद्योगों जिनके अंतर्गत ग्रामीण उद्योग भी हैं; सुविधाजनक भण्डार और स्थानीय सुविधाएं सहायक पारिस्थितिकी पर्यटन जिसके अधीन गृह वास सम्मिलित है; और

(v) पैरा 4 में दिए गए संवर्धित क्रियाकलाप:

परंतु यह और कि प्रादेशिक नगर योजना अधिनियम और राज्य सरकार के अन्य नियमों और विनियमों के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन और संविधान के अनुच्छेद 244 के उपबंधों या तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अनुपालन के बिना, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, वाणिज्यिक या औद्योगिक विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का उपयोग अनुज्ञात नहीं होगा:

परंतु यह और भी कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर भू-अभिलेखों में उपसंजात कोई गलती, मानीटरी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार ठीक होगी और उक्त गलती के सुधार की सूचना केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को दी जाएगी:

परंतु यह और भी कि गलती के सुधार में इस उप पैरा के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा;

(ख) वनीकरण तथा वास जीर्णोद्धार क्रियाकलापों सहित अनप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुन: वनीकरण करने के प्रयास किए जाएंगे।

(2) **प्राकृतिक जल स्रोत.**- आचंलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक झरनों के आवाह क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण और नवीकरण के लिए योजना सम्मिलित होगी और राज्य सरकार द्वारा ऐसे क्षेत्रों पर या उनके निकट विकास क्रियाकलाप प्रतिषिद्ध करने के बारे में जो ऐसे क्षेत्रों के लिए अहितकर हो ऐसी रीति से मार्गदर्शक सिद्धांत तैयार किए जाएंगे।

(3) **पर्यटन या पारिस्थितिकी पर्यटन.-** (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर सभी नए पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार पर्यटन महायोजना के अनुसार पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए होगा।

(ख) पारिस्थितिकी पर्यटन महायोजना राज्य पर्यटन विभाग द्वारा राज्य पर्यावरण और वन विभाग के परामर्श से तैयार होगी।

(ग) पर्यटन महायोजना आंचलिक महायोजना के एक घटक के रूप में होगी।

(घ) पर्यटन महायोजना पारिस्थितिकी संवेदी जोन की वहन क्षमता के आधार पर तैयार की जाएगी।

(ङ) पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नानुसार विनियमित होंगे, अर्थात्:-

(i) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी निकट है, नये वाणिज्यिक होटल और रिजॉर्ट के सन्निर्माण अनुज्ञात नहीं होंगे:

परंतु, यह कि संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर की दूरी से परे पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक होटलों और रिजॉर्ट का स्थापना केवल पूर्व परिभाषित और नामनिर्दिष्ट क्षेत्रों में पर्यटन महायोजना के अनुसार पारिस्थितिकी पर्यटन सुविधाओं के लिए ही अनुज्ञात होगा;

(ii) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मार्गदर्शक सिद्धांतों के द्वारा तथा राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, द्वारा जारी पारिस्थितिकी–पर्यटन, पारिस्थितिकी-शिक्षा और पारिस्थितिकी-विकास पर बल देते हुए (समय-समय पर यथा संशोधित) जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार होगा;

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन किए जाने तक, पर्यटन के लिए विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा और निगरानी समिति की सिफारिश पर आधारित संबंधित विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुज्ञात किया जाएगा और पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर किसी नए होटल या रिसोर्ट या वाणिज्यिक स्थापना का संनिर्माण अनुज्ञात नहीं किया जायेगा ।

(4) **नैसर्गिक विरासत.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में महत्वपूर्ण नैसर्गिक विरासत के सभी स्थलों जैसे जीन कोश आरक्षित क्षेत्र, शैल विरचनाएं, जल प्रपातों, झरनों, घाटी मार्गों, उपवनों, गुफाएं, स्थलों, भ्रमण, अश्वरोहण, प्रपातों आदि की पहचान की जाएगी और विरासत संरक्षण योजना आंचलिक महायोजना के भाग के रुप में परिरक्षण और संरक्षण के लिए तैयार की जाएगी ।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थल.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, शिल्प-तथ्य, ऐतिहासिक, स्थापत्य, सौंदर्यपूरक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की और उपक्षेत्रों पहचान और उनके संरक्षण के लिए विरासत योजना आंचलिक महायोजना के भाग के रुप में तैयार की जाएगी।

(6) **ध्वनि प्रदूषण**.- पर्यावरण अधिनियम के अधीन ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 में उपबंधों के अनुसार पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण और निवारण का अनुपालन किया जाएगा।

(7) **वायु प्रदूषण.**- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण के निवारण और नियंत्रण का वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार अनुपालन किया जाएगा।

(8) **बहिस्राव का निस्सारण.**- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उपचारित बहिस्राव का निस्सारण, साधारण मानकों के उपबंधों के अनुसार पर्यावरण अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन आने वाले पर्यावरणीय प्रदूषण के निस्सारण के लिए साधारण मानकों या राज्य सरकार द्वारा नियत मानकों, जो भी अधिक कठोर हो, के उपबंधों के अनुसार होगा।

(9) **ठोस अपशिष्ट.-** ठोस अपशिष्ट का निपटान और प्रबंधन निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ठोस अपशिष्ट का निपटान और प्रबंधन भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1357(अ), तारीख 8 अप्रैल, 2016 के द्वारा प्रकाशित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा; अकार्बनिक पदार्थो का निपटान पारिस्थितिकी संवेदी जोन से बाहर चिन्हित किए गए स्थानों पर पर्यावरण-अनुकूल रीति से किया जाएगा;

(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों का उपयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप ठोस अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल प्रबंधन (इएसएम) अनुज्ञात किया जा सकेगा।

(10) **जैव चिकित्सा अपशिष्ट.**- जैव चिकित्सा अपशिष्ट का प्रबंधन निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में जैव चिकित्सा अपशिष्ट का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं.सा.का.नि 343 (अ), तारीख 28 मार्च, 2016, के द्वारा प्रकाशित जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा;

(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों का उपयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप जैव-चिकित्सा अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल प्रबंधन अनुज्ञात किया जा सकेगा।

(11) **प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 340(अ), तारीख 18 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(12) **निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं.सां.का.नि 317(अ), तारीख 29 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित संनिर्माण और विध्वंस प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(13) **ई–अपशिष्ट.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ई–अपशिष्ट प्रबंधन का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित द्वारा प्रकाशित ई–अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(14) **यानीय यातायात.-** यातायात की यानीय गतिविधियां आवास के अनुकूल विनियमित होंगी और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध सम्मिलित किए जाएंगे और आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित होने तक, मानीटरी समिति सुसंगत अधिनियमों और उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के अनुसार यानीय क्रियाकलापों के अनुपालन को मानीटर करेगी।

(15) **यानीय प्रदूषण.-** लागू विधियों के अनुपालन में वाहन प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण किया जाएगा और स्वच्छक ईंधन आदि के उपयोग के लिए प्रयास किए जाएंगे।

(16) **औद्योगिक ईकाइयां.-** (i) राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन पर या उसके पश्चात् पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर कोई नए प्रदूषित उद्योगों की स्थापना की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी;

(ii) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी समय-समय पर यथा संशोधित मार्गदर्शक सिद्धान्तों में उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार, जब तक अधिसूचना में इस प्रकार विनिर्दिष्ट न हो, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर केवल गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों को अनुज्ञात किया जाएगा और इसके अतिरिक्त, गैर प्रदूषणकारी उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा।

(17) **पहाड़ी ढलानों को संरक्षण.-** पहाड़ी ढलानों का संरक्षण निम्नानुसार होगा:-

(क) आंचलिक महायोजना पहाड़ी ढलानों पर क्षेत्रों का संकेत होगा जहां किसी भी संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी;

(ख) कटाव के एक उच्च डिग्री के साथ विद्यमान खड़ी पहाड़ी ढलानों या ढलानों पर किसी भी संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी।

4. पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध या विनियमित किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची.- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण अधिनियम के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों जिसके अन्तर्गत तटीय विनियमन जोन, 2011 और पर्यावरणीय समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 और अन्य लागू विधियों के जिसमें वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 का 69), भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16), वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) सम्मिलित हैं और किये गये संशोधनों द्वारा शासित होंगे और नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट रीति में विनियमित होंगे, अर्थात् :-

सारणी

क्रम सं. (1)	क्रियाकलाप (2)	वर्णन (3)
	क. प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप	
1.	वाणिज्यिक खनन, पत्थर उत्खनन और अपघर्षण इकाइयां ।	(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर सदभावी स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं जिसमें मकानों के संनिर्माण या मरम्मत के लिए धरती को खोदना सम्मिलित है, के सिवाय सभी प्रकार के नए और विद्यमान खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर

क्रम सं. (1)	क्रियाकलाप (2)	वर्णन (3)
		उत्खनन और अपघर्षण इकाइयां तत्काल प्रभाव से प्रतिषिद्ध होंगी; (ख) खनन प्रचालन, 1995 की रिट याचिका (सिविल) सं. 202 में टी.एन. गौडाबर्मन थिरुमूलपाद बनाम भारत संघ के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश 4 अगस्त, 2006 और 2012 की रिट याचिका (सिविल) सं. 435 में गोवा फाउंडेशन बनाम भारत संघ के मामले में तारीख 21 अप्रैल, 2014 के आदेश के अनुसरण में होगा ।
2.	प्रदूषण (जल, वायु, मृदा, ध्वनि, आदि) उत्पन करने वाले उद्योगों की स्थापना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में कोई नया उद्योग लगाने और वर्तमान प्रदूषणकारी उद्योगों का विस्तार करने की अनुज्ञा नहीं होगी: परन्तु, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी समय-समय पर यथा संशोधित मार्गदर्शक सिद्धान्तों में उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार, जब तक अधिसूचना में ऐसा विनिर्दिष्ट न हों, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों को अनुज्ञात किया जाएगा और इसके अतिरिक्त गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्यागों को बढ़ावा दिया जाएगा।
3.	बृहत जल विद्युत परियोजना की स्थापना ।	प्रतिषिद्ध।
4.	किसी परिसंकटमय पदार्थ का उपयोग या उत्पादन या प्रसंस्करण।	प्रतिषिद्ध।
5.	प्राकृतिक जल निकायों या क्षेत्र भूमि में अनुपचारित बहिर्स्राव का निस्सारण ।	प्रतिषिद्ध।
6.	नई आरा मिलों की स्थापना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर नई आरा मिलों की स्थापना और विद्यमान आरा मिलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा।
7.	ईंट भट्टों की स्थापना करना।	प्रतिषिद्ध।
8.	जलावन लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग।	प्रतिषिद्ध।
9.	पोलिथीन बैगों का उपयोग।	प्रतिषिद्ध।
10.	मछली पकड़ना और शिकार करना।	प्रतिषिद्ध।
	आ. विनियमित क्रियाकलाप	
11.	वाणिज्यिक होटलों और रिसोर्टों की स्थापना।	पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलापों लघु अस्थायी संरचनाओं के सिवाय संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी निकट है, नए वाणिज्यिक होटल और रिसोर्टों को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा: परंतु, संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के परे या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक इनमें से, जो भी निकट हो सभी नए पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान क्रियाकलाप का विस्तार पर्यटन महायोजना और यथा लागू मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरुप होगा।
12.	संनिर्माण क्रियाकलाप।	(क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी निकट हो, किसी भी प्रकार के नये वाणिज्यिक संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी: परंतु स्थानीय लोगों को अपनी आवास सम्बन्धी निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, पैरा 3 के उप पैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित अपने उपयोग के लिए, अपनी भूमि में

क्रम सं. (1)	क्रियाकलाप (2)	वर्णन (3)
		भवन उप-विधियों के अनुसार, संनिर्माण करने की अनुज्ञा होगी: परंतु यह और कि गैर–प्रदूषणकारी लघु उद्योगों से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से विनियमित किए जाएंगे और वे न्यूनतम होंगे। (ख) एक किलोमीटर क्षेत्र से परे ये आंचलिक महायोजना के अनुसार विनियमित होंगे।
13.	प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग।	फरवरी, 2016 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी उद्योगों में वर्गीकरण के अनुसार समय-समय पर यथा संशोधित गैर-प्रदूषणकारी उद्योग और अपरिसंकटमय में, लघु और सेवा उद्योग, कृषि, पुष्प कृषि, उद्यान कृषि या पारिस्थितिकी संवेदी जोन से देशी सामग्री से उत्पादों को उत्पन्न करने वाले कृषि आधारित उद्योग सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात होंगे।
14.	वृक्षों की कटाई।	(क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा के बिना वन, सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर या वनों में वृक्षों की कटाई नहीं होगी । (ख) वृक्षों की कटाई संबंधित केंद्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध के अनुसार विनियमित होगे ।
15.	वन उत्पादों या गैर काष्ठ वन उत्पादों का संग्रहण ।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।
16.	विद्युत और संचार टावरों का परिनिर्माण और केबलों के बिछाए जाने और अन्य बुनियादी ढांचे।	लागू विधियों के अधीन विनियमित (भूमिगत केबल बिछाने को बढ़ावा दिया जाएगा) होंगे ।
17.	नागरिक सुख सुविधाओं सहित अवसंरचनाएं ।	न्यूनीकरण उपायों को लागू विधियों, नियमों और विनियमनों और उपलब्ध मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार किया जाना ।
18.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ़ करना तथा नवीन सड़कों का संनिर्माण ।	न्यूनीकरण उपायों को लागू विधियों, नियमों और विनियमनों तथा उपलब्ध मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार किया जाएगा ।
19.	पर्यटन से संबंधित अन्य क्रियाकलाप जैसे गर्म वायु गुब्बारें, हेलीकॉप्टर, ड्रोन, माइक्रोलाइटस, आदि द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन क्षेत्र के ऊपर से उड़ना जैसे क्रियाकलाप करना।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।
20.	पहाड़ी ढालों और नदी तटों का संरक्षण ।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।
21.	रात्रि में यानिक यातायात का संचलन ।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होंगे ।
22.	स्थानीय समुदायों द्वारा चल रही कृषि और बागवानी प्रथाओं के साथ दुग्धशाला, दुग्ध उद्योग, कृषि और मछली पालन ।	स्थानीय लोगों के उपयोग के लिए लागू विधियों के अधीन अनुज्ञात होंगे ।
23.	फर्मों, निगम और कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक पशुओं और कुक्कुट फार्मों की स्थापना ।	स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने लागू विधियों के अनुसार (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) विनियमित होगा।

क्रम सं. (1)	क्रियाकलाप (2)	वर्णन (3)
24.	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में पुनःचक्रण प्रवाह में उपचारित बहिर्स्राव का निस्तारण ।	जल निकायों में उपचारित अपशिष्ट जल या बहिर्स्राव के निस्सारण से बचा जाएगा और उपचारित अपशिष्ट जल के पुन:चक्रण और पुन:उपयोग के लिए प्रयास किए जाएंगे। अन्यथा लागू विधियों के अनुसार उपचारित बहिर्स्राव के पुनर्चक्रण या प्रवाह के निर्वहन को विनियमित किया जाएगा।
25.	सतही और भूजल का वाणिज्यिक निष्कर्षण ।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।
26.	ठोस अपशिष्ट का प्रबन्धन।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।
27.	विदेशी प्रजातियों का परिचय।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।
28.	पारिस्थितिकी पर्यटन।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।
29.	वाणिज्यिक सूचनापट्ट और होर्डिंग।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।
30.	ट्रैकिंग और शिविर।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।
31.	फोटोग्राफी वाणिज्यिक।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।
	इ. संवर्धित क्रियाकलाप	
32.	वर्षा जल संचयन।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
33.	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
34.	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को अंगीकृत करना ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
35.	कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर भी हैं।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
36.	नवीकरणीय ऊर्जा और ईंधन का उपयोग ।	बायोगैस, सौर प्रकाश, इत्यादि को बढ़ावा दिया जाएगा।
37.	कृषि वानिकी ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
38.	बागान लगाना और जड़ी बूटियों का रोपण ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
39.	पारिस्थितिकी अनुकूल परिवहन का उपयोग ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
40.	कौशल विकास ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
41.	निम्नीकृत भूमि या वन या वास की बहाली ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
42.	पर्यावरणीय जागरुकता ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
43.	होटल और लॉज के परिसर की बाड़ लगाना।	बढ़ावा दिया जाएगा ।
44.	धार्मिक ट्रैकिंग।	बढ़ावा दिया जाएगा ।

5. पारिस्थितिकी संवेदी जोन अधिसूचना को मानीटर करने के लिए मानीटरी समिति- केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उपधारा (3) के अधीन इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी रुप से मानीटर करने के लिए मानीटरी समिति का गठन करती है, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात्:-

क्र.सं.	मानीटरी समिति का गठन	पद
(i)	मुख्य वन संरक्षक या वन संरक्षक, मंडी (जिसके पास भी प्रभार है)	अध्यक्ष;
(ii)	मुख्य वन संरक्षक या वन संरक्षक, कुल्लू	सह-अध्यक्ष;

	(जो कोई भी प्रभार धारण कर रहा है)	
(iii)	वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में कार्यरत गैर सरकारी संगठन का एक प्रतिनिधि राज्य सरकार द्वारा मनोनीत किया जायेगा।	सदस्य;
(iv)	राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यकारी अभियंता	सदस्य;
(v)	क्षेत्र के वरिष्ठ नगर नियोजक	सदस्य;
(vi)	पारिस्थितिकी और पर्यावरण में एक विशेषज्ञ राज्य द्वारा नामित किया जाएगा	सदस्य;
(vii)	राज्य सरकार द्वारा नामित किए जाने वाले जैव विविधता में एक विशेषज्ञ	सदस्य;
(viii)	संभागीय वनाधिकारी, कुल्लू	सदस्य;
(ix)	संभागीय वनाधिकारी (वन्यजीव) कुल्लू	सदस्य;
(x)	संभागीय वनाधिकारी, जोगिन्दरनगर	सदस्य;
(xi)	संभागीय वनाधिकारी, मंडी	सदस्य–सचिव।

6. निर्देश निबंधन.- (1) मानीटरी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन को मानीटर करेगी।

(2) मानीटरी समिति का कार्यकाल अगले आदेश होने तक किया जाएगा, परंतु यह कि समिति के गैर-सरकारी सदस्यों को समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा।

(3) उन क्रियाकलापों की, जो भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533 (अ), तारीख 14 सितम्बर, 2006 की अनुसूची में सम्मिलित हैं, और जो पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आते हैं, इसके जो पैरा 4 के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय मानीटरी समिति द्वारा वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं के आधार पर संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण अनापत्ति के लिए केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट किया जाएगा।

(4) उन क्रियाकलापों की, जो भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533 (अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में सम्मिलित नहीं है, और जो पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आते हैं, इसके पैरा 4 के अधीन सारणी में यथाविर्निष्ट प्रतिषिद्ध क्रिलाकलापों के सिवाय मानीटरी समिति द्वारा वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं के आधार पर संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा।

(5) मानीटरी समिति का सदस्य-सचिव या संबद्ध उपायुक्त ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण अधिनियम की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा।

(6) मानीटरी समिति मुद्दा दर मुद्दा के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों या संबद्ध पणधारियों के प्रतिनिधियों को अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी ।

(7) मानीटरी समिति प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च तक के अपने क्रियाकलापों की वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को उपाबंध-V में संलग्न प्रोफार्मा में उक्त वर्ष के 30 जून तक प्रस्तुत करेगी ।

(8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मानीटरी समिति को अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए ऐसे निर्देश दे सकेगा, जो वह ठीक समझे ।

7. अतिरिक्त उपाय.- इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार, अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगी।

8. उच्चतम न्यायालय, के आदेश आदि.- इस अधिसूचना के उपबंध भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित किए गए या पारित किए जाने वाले आदेश, यदि कोई हो, के अध्यधीन होंगे।

[फा. सं. 25/176/2015-ईएसजेड-आरई]

तन्मय कुमार, अपर सचिव

उपाबंध- I

सारणी: हिमाचल प्रदेश राज्य में नरगू वन्यजीव अभयारण्य और इसके पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण

उत्तर: पारिस्थितिकी संवेदी जोन उत्तर भाग पर प्रस्तावित नहीं है जैसा कि यह धौलाधार वन्यजीव अभयारण्य के साथ अविच्छिन्न है, तथापि, नरगू वन्यजीव अभयारण्य की सीमा चकरोला थच से आरंभ होती है और धरालीटीनू गलू तक जिला सीमा के साथ धौलाधार वन्यजीव अभयारण्य की दक्षिण पश्चिम सीमा के साथ मुड़ती है।

भू-निर्देशांक: अक्षांश 32^0 02' 58.042" देशांतर 76^0 52'5.991"

अक्षांश 32^0 06' 36.803" देशांतर 76^0 58'49.573".

दक्षिण: सीमा कंडी गलू से आरंभ होकर, कंडी ग्राम के उत्तरी भाग पर मुड़ती है और छोटे नाला के साथ नीचे की ओर जाती है और दूचली नाला सीमा से जुड़कर मटीयाना ग्राम के उत्तरी भाग में मुड़ती है इसके बाद के बरौन नाला तक 1600 मीटर परिरेखा में मुड़ती है।

भू-निर्देशांक: **अक्षांश** 31^0 49' 46.841" देशांतर 77^0 04' 54.074"

अक्षांश 31^0 48' 35.52" देशांतर 77^0 02' 46.257"

पूर्व: सीमा घरालीटीनू गलू से आरंभ होती है, छोटे नाला के साथ नीचे की मुड़ती है, इसके बाद 2800 मीटर परिरेखा के साथ मुड़ती है और सरवरी खाद से जुड़कर छोटे नाला के नीचे की ओर मुड़ती है इसके बाद सरवरी खाद के नीचे की ओर मुड़ती है इसके बाद पथ सीमा के साथ मुड़ती है, छोटे नाला के ऊपर की ओर मुड़कर सम्लंग ग्राम, तीऔन ग्राम, द्रलीजीग ग्राम, कदींचा ग्राम, समाना ग्राम, सगोचन ग्राम, बाई धरंग ग्राम, कराशींग ग्राम, कशामती ग्राम, तेलांग, दैल ग्राम की पश्चिम सीमा की पश्चिमी सीमा की ओर मुड़ती है इसके बाद छोटे नाला के साथ ऊपर की ओर मुड़कर और 2600 मीटर परिरेखा मुड़ती है वन सीमा मरींग पी एफ के साथ खोपरी ग्राम, मरगन ग्राम, जोंगा ग्राम की पश्चिमी सीमा के नीचे की ओर मुड़ती है इसके बाद मुलागथाना पी एफ के साथ मुड़कर सीमा बौसू ग्राम, भाखरी ग्राम, पह ग्राम, सपाका ग्राम के पश्चिमी भाग मुड़ती है; इसके बाद कंदी गलू के खोखान वन्यजीव अभयारण्य सीमा मुड़ती है।

भू-निर्देशांक: अक्षांश 32^0 06' 36.803" देशांतर 76^{0}58' 49.573"

अक्षांश 32^0 02' 6.634" देशांतर 76^{0}59' 42.926"

अक्षांश 31^0 54' 18.948" देशांतर 77^{0}04' 0.646"

अक्षांश 31^0 49' 46.841" देशांतर 77^{0}04' 54.074"

पश्चिम : सीमा बरौन नाला से आरंभ होकर शनर ग्राम, सेरीग्राम, भरयनू ग्राम, बरारी ग्राम की पूर्वी सीमा के पथ के साथ बरौन ग्राम की पूर्वी सीमा मुड़ती है, छोटे नाला के नीचे की ओर मुड़कर और शेरारा नाला से जुड़ती है और नाला के ऊपर की ओर मुड़कर और गरटनू ग्राम, धरौन ग्राम की उत्तरी सीमा से मुड़ती है और सीमा नाला के ऊपर की ओर दरून ग्राम, शूघा ग्राम के पूर्वी भाग के रिज के साथ पथ- एस ओ आई बैंचमार्क 2453 मीटर के साथ मुड़ती है और सीमा 2600 मीटर परिरेखा मुड़ती है इसके बाद पथ एस.ओ.आई बैंचमार्क 2321 मीटर ग्राम मुड़ती है इसके बाद भड़वानी ग्राम, करतंग ग्राम के पश्चिमी भाग छोटे नाला के साथ मुड़ती है और ओलगवर ग्राम के उत्तर भाग पथ के साथ मुड़ती है और दैंत ग्राम, दमवन ग्राम के पूर्वी भाग पथ ग्राम मुड़ती है और 2200 मीटर परिरेखा मुड़ती है इसके बाद तेगर ग्राम के पूर्वी भाग है और सीमा नाला के साथ ग्राम पथ के साथ मुड़ती है और तेरंग ग्राम के उत्तरी भाग के 2400 मीटर परिरेखा मुड़ती है इसके बाद ग्राम पथ मुड़ती है और इसके बाद 2740 मीटर परिरेखा के साथ मुड़ती है और इसके बाद ल्थरन ग्राम के उत्तरी भाग मुड़कर और झाकवन घर नाला से जुड़कर 2200 मीटर परिरेखा मुड़ती है और इसके बाद सीमा बनजसगढ़ ग्राम के पथ के साथ मुड़ती है और इसके बाद बनजसगढ ग्राम की दक्षिणी सीमा मुड़ती है इसके बाद पथ के साथ मुड़कर और 1720 मीटर परिरेखा मुड़ती है। इसके बाद छोटे नाला के ऊपर की ओर मुड़ती है और सीमा चकरोला थच तक मंडी और कांगडा की जिला सीमा मुड़ती है।

भू-निर्देशांक: अक्षांश 31⁰ 48’ 35.52” देशांतर 77⁰02’ 46.257”

अक्षांश 31⁰ 53’ 26.734” देशांतर 77⁰0’ 22.924”

अक्षांश 31⁰ 58’ 19.493” देशांतर 76⁰55’ 42.718”

अक्षांश 32⁰ 01’ 43.423” देशांतर 76⁰51’ 20.24”

अक्षांश 32⁰ 02’ 58.042” देशांतर 76⁰52’ 5.991”

उपाबंध- IIक

भारतीय सर्वेक्षण (एसओआई) टोपोशीट पर मुख्य अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ नरगू वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का मानचित्र

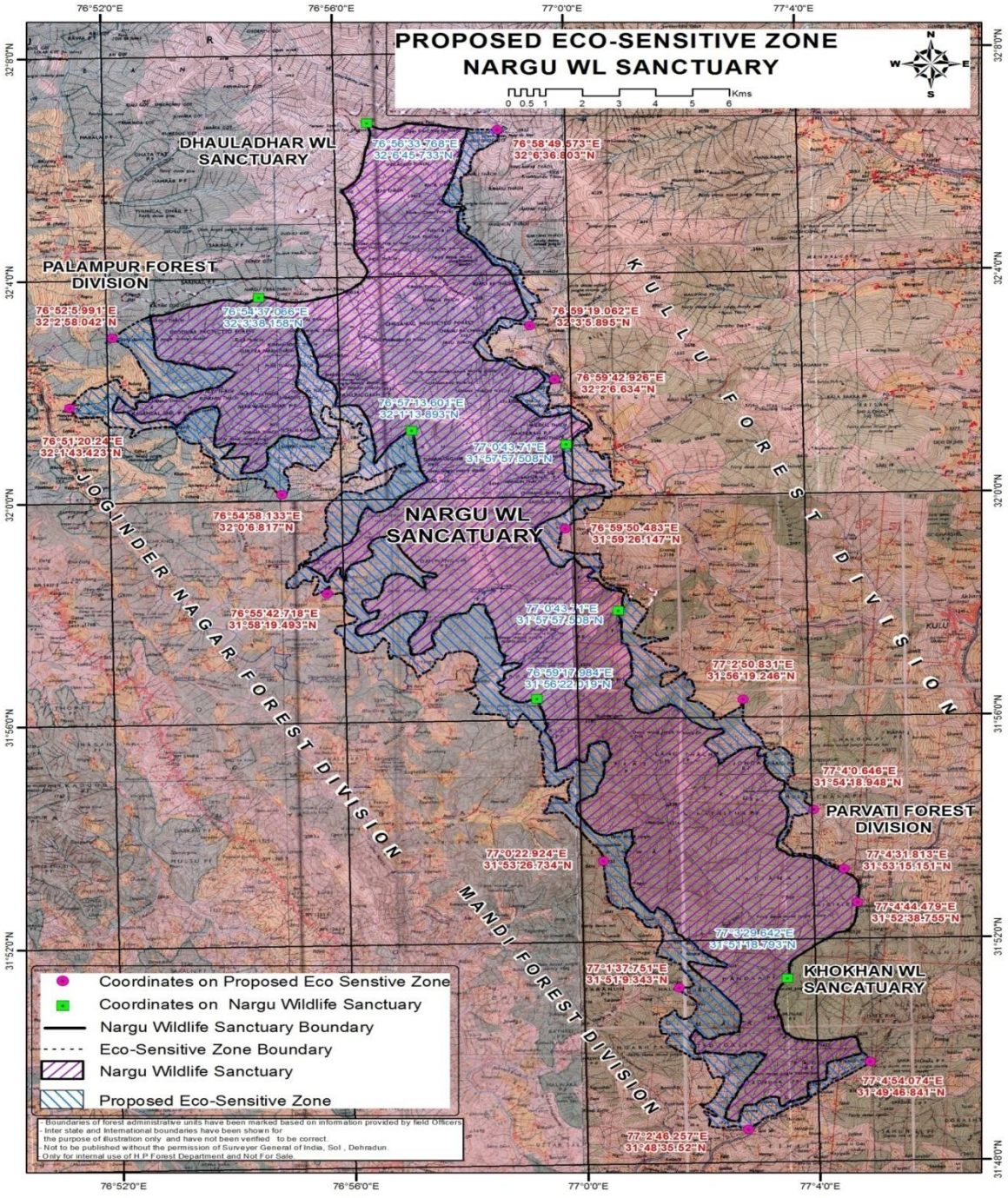

उपाबंध- IIख

मुख्य अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ नरगू वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भूमि उपयोग पैटर्न को दर्शाने वाल मानचित्र

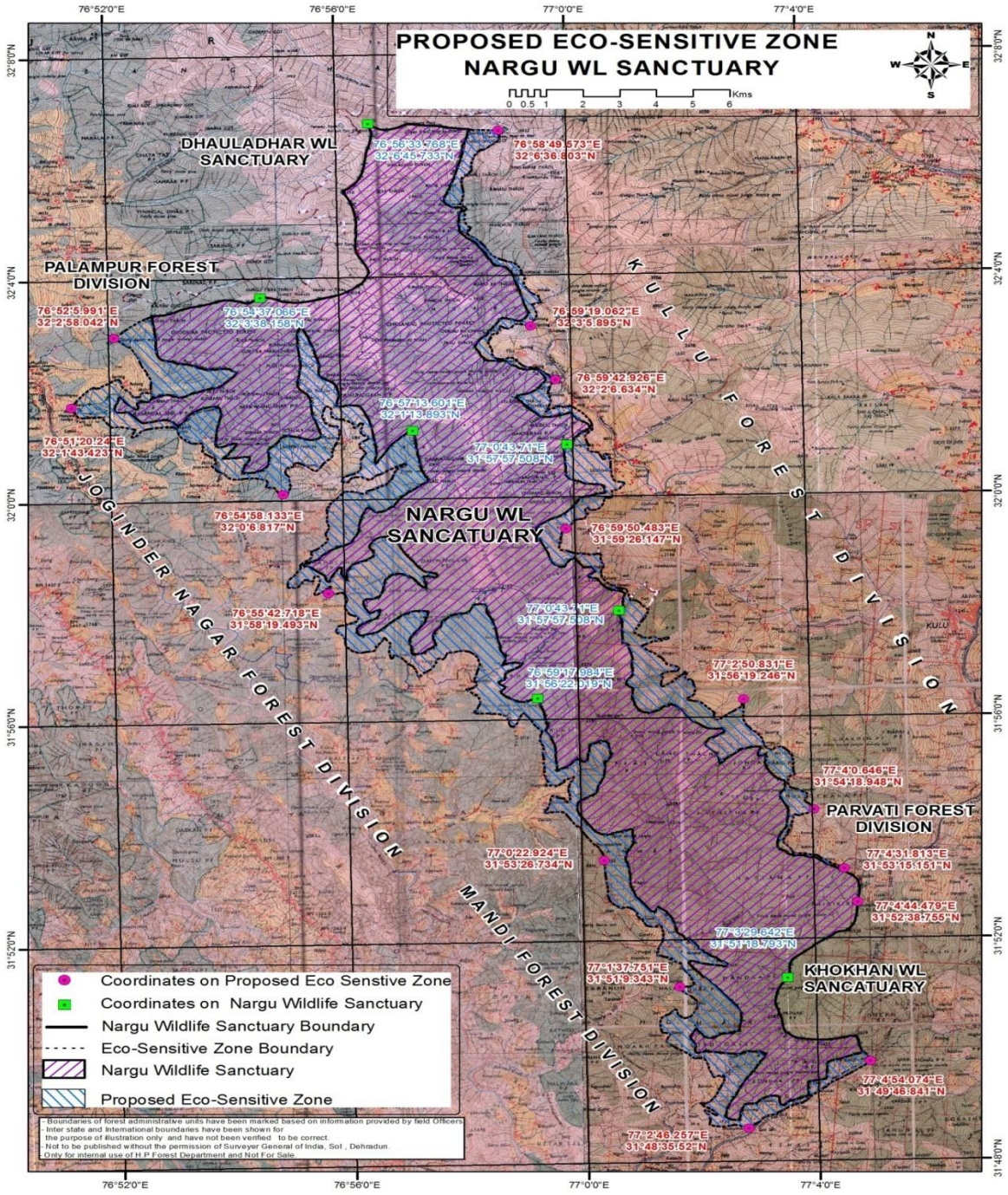

उपाबंध-III

नरगू वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन के मुख्य अवस्थानों के भू-निर्देशांक

	देशांतर (पू)	अक्षांश (उ)	विवरण(भू-चिन्ह)
उत्तर	76⁰ 52’ 5.991” 76⁰ 58’ 49.573”	32⁰ 02’ 58.042 32⁰ 06’ 36.803	धौलाधार वन्यजीव अभयारण्य और जिला सीमा के साथ चकरोलाथच से घरालीटीनू गलू तक
दक्षिण	77⁰ 04’ 54.074” 77⁰ 02’ 46.257”	31⁰ 49’ 46.841” 31⁰ 48’ 35.52”	कन्दी गलू, दुल्सी नाला, बरौन नाला तक 1600 मीटर परिरेखा
पूर्व	76⁰ 58’ 49.573” 76⁰ 59’ 42.926” 77⁰ 04’ 0.646” 77⁰ 04’ 54.074”	32⁰ 06’ 36.803 32⁰ 02’ 6.634 31⁰ 54’ 18.948” 31⁰ 49’ 46.841”	परिरेखा 2800 मीटर एवं 2600 मीटर, मरीग, मुलगान थाना, इसके बाद कन्दी गलु तक खोखान वन्यजीव अभयारण्य के साथ है।
पश्चिम	77⁰ 02’ 46.257” 77⁰ 0’ 22.924” 76⁰ 55’ 42.718” 76⁰ 51’ 20.24” 76⁰ 52’ 5.991”	31⁰ 48’ 35.52” 31⁰ 53’ 26.734” 31⁰ 58’ 19.493” 32⁰ 01’ 43.423” 32⁰ 02’ 58.042”	बरौन नाला, सेर नाला, भारतीय सर्वेक्षण निर्देशचिन्ह 2453, 2321, परिरेखा 2200, 2400, 27401720 मीटर, इसके बाद चकरोला थच तक मंडी और कंगडा की जिला सीमा के साथ साथ जाती है।

उपाबंध –IV

क. भू-निर्देशांकों के साथ नरगू वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची

प्रभाग	**क्र.सं.**	**ग्राम नाम**	**अक्षांश**	**देशांतर**
जोगिंदरनगर	1	कशमाल	32⁰ 01’ 517”उ	76⁰ 51’ 524”पू
	2	तेरांग	32°58' 648"उ	76⁰ 55’ 476”पू
	3	तेगर	31⁰ 58’ 964”उ	76⁰ 55’ 014”पू
	4	समालांग	31⁰ 58’ 648”उ	76⁰ 55’ 941”पू
	5	गढ़गॉन	31⁰ 58’ 398”उ	76⁰ 55’ 984”पू
	6	कुंगरी	31⁰ 56’ 981”उ	76⁰ 57’ 320”पू
पार्बती		शून्य		
कुल्लू		शून्य		
मंडी	1	कोट	31⁰ 52. 245”उ	077⁰ 01.438”पू
	2	पाधर	31⁰ 52.208”उ	077⁰ 01.430”पू

	3	लेहरी	31⁰ 52.003”उ	077⁰ 01.577”पू
	4	कुमाहारदु	31⁰ 51.812”उ	077⁰ 01.370”पू
	5	मंद्रा	31⁰ 52.005”उ	077⁰ 01.577”पू
	6	भरारी	31⁰ 51.660”उ	077⁰ 01.625”पू
	7	बदाउन	31⁰ 49.463”उ	077⁰ 01.769”पू
	8	मथिअना	31⁰ 48.445”उ	077⁰ 02.450”पू
	9	सारंग	31⁰ 48.532”उ	077⁰ 02.469”पू
	10	कुंदाक	31⁰ 49.123”उ	077⁰ 03.038”पू
	11	कंधी	31⁰ 49.688”उ	077⁰ 04.863”पू

ख. नरगू वन्यजीव अभयारण्य क्षेत्र के चारों ओर पारिस्थितिकी संवेदी जोन के क्षेत्र का विवरण नीचे दिया गया है: -

क्र.सं.	**वन के नाम**	**कम्पार्टमेंटों की संख्या**	**क्षेत्र (वर्ग किलोमीटर में)**
1	2/57 फेती मेल	सी-1,सी-II (भाग)	0.335
2	2/61 मारिग	सी-1-सी-IV(भाग)	0.565
3	मानगढ़ -III	(भाग)	4.900
4	चोपरासा-III	(भाग)	1.750
5	तारापुर-III	(भाग)	3.600
6	महराजा-III	(भाग)	1.10
7	लामबाचाक एवं राजस्व भूमि	(भाग)	3.0050
8	तेरांग एव रीचुनाल एवं राजस्व भूमि		1.8125
9	दैंतनल एवं राजस्व भूमि		2.1350
10	कुंगरी		3.2275
11	वांगन		1.7725
12	खबान एवं राजस्व भूमि		0.9950
13	ग्रामन एवं खारयान		6.8750
14	गरहगांव एवं राजस्व भूमि		3.1975
15	कश्मलशील ग्राम	(भाग)	1.4300
16	सरकारी अपशिष्ट भूमि एवं राजस्व भूमि	(भाग)	1.0600
17	शगनाल	संपूर्ण	0.8097
18	चुनचल	संपूर्ण	0.6070
19	बरा	संपूर्ण	1.1600
20	हिमगढ एवं राजस्व भूमि	(भाग)	0.8750
21	बदउन एवं राजस्व भूमि	(भाग)	1.9050
22	हाथीपुर	(भाग)	2.4755
23	हिरबान्नाल एवं राजस्व भूमि		
24	फुंगान्धार		

25	शगनाल एवं राजस्व भूमि	(भाग)	1.2528
26	चलाउधार	(भाग)	0.8775
27	नया मंदरा एवं राजस्व भूमि	(भाग)	0.7725
28	कंडी एवं राजस्व भूमि	(भाग)	1.5475
		कुल योग	**50.0425**

उपाबंध- V

की गई कार्रवाई सम्बन्धी रिपोर्ट का रुपविधान:-

1. बैठकों की संख्या और तारीख।
2. बैठकों का कार्यवृत: (कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का उल्लेख करें । बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक उपाबंध में संलग्न करें) ।
3. आंचलिक महायोजना की तैयारी की प्रास्थिति जिसके अंतर्गत पर्यटन महायोजना भी है।
4. भू-अभिलेख में सदृश्य त्रुटियों के सुधार के लिए ब्यौहार किए गए मामलों का सार (पारिस्थितिकी संवेदी जोन वार) । ब्यौरे उपाबंध के रूप में संलग्न किए जाएं।
5. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाले क्रियाकलापों की संवीक्षा के मामलों का सार। (ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में संलग्न किए जाएं)।
6. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाले क्रियाकलापों की संवीक्षा के मामलों का सार । (ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में संलग्न किए जाएं)।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सार ।
8. कोई अन्य महत्वपूर्ण विषय ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th March, 2022

S.O. 1331(E).—WHEREAS, a draft notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change number S.O. 4048 (E), dated the 11th November, 2020, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within the period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

AND WHEREAS, copies of the Gazette containing the said draft notification were made available to the public on the 11th November, 2020;

AND WHEREAS, objections and suggestions were received from persons and stakeholders in response to the aforesaid draft notification were duly considered in the Ministry;

AND WHEREAS, the Nargu Wildlife Sanctuary is situated at a distance around 55 kilometres from Mandi, 30 kilometres from Joginder nagar in Mandi and Kullu district of Himachal Pradesh which provides home to a variety of endemic flora and fauna and the Sanctuary has several important values from ecological, faunal, floral, geomorphologic and recreational and research or educational perspective. The total area of the Sanctuary is 132.37 square kilometers;

AND WHEREAS, Nargu Wildlife Sanctuary consists of Moist Deodar Forests,12 C1 (c), Moist Temperate Deciduous Forests 12/C1(e), Kharsu Oak Forests 12/C2(a), Sub-tropical Chir Pine Forest, Western Mixed Coniferous Forests, Western Himalaya Sub-alpine Fir Forest. Important tree species available in the Sanctuary are deodar (*Cedrus deodara), fir (Abies pindrop),* kharsu (*Quercus semicarpifolia),* prunus (*Prunus avium*), maple (*Acer spp*), juglan (*Juglan regia* L), rhododendron (*Rhododendron arboretum),* celtis (*Celtis australis* L)*,* fig (*Ficus palmate),* ban (*Quercus leucutrichophora*), etc;

AND WHEREAS, Nargu Wildlife Sanctuary is known to harbor an exceptional varieties of wildlife. The main species found in the Sanctuary are threatened species like, common leopard (*Panthera pardus*), barking deer (*Muntiacus muntjak*), black bear (*Selenarctus thibetanus*), ghoral (*Nemorhaeadus goral*), jackal (*Canis aureus*), Himalayan yellow throated marten (*Martes flavigula*), Himalayan civet (*Pagoma larvata*), flying squirrel (*Petaurista petaurista*). It is habitat of four species of pheasants out of seven species found in Himachal Pradesh and has been recognized as important bird area for Himalayan monal, endemic vulnerable species restricted to Himalayan region in India. Among other birds, white crested kalij, chukor, black and grey partridge. Among reptiles snakes, monitor lizard are of common occurrence;

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area, the extent and boundaries of Nargu Wildlife Sanctuary which are specified in paragraph 1 as the Eco-sensitive Zone from ecological, environmental and biodiversity point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zones;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of Section 3 of the Environment (Protection) Act 1986 (29 of 1986) (hereafter in this notification referred to as the Environment Act) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area to an extent varying from 0 (zero) to 1.00 kilometres around the boundary of Nargu Wildlife Sanctuary, in Mandi and Kullu district in the State of Himachal Pradesh as the Eco-sensitive Zone (hereafter in this notification referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely: -

1. **Extent and Boundaries of Eco-sensitive Zone. –** (1) The extent of Eco-sensitive Zone varies from 0 (zero) to 1.00 kilometres and the area of the Eco-sensitive Zone is 50.0425 square kilometres.

   Note: Zero extent of Eco-sensitive Zone is due to continuation of the Nargu Wildlife Sanctuary with Dhauladhar Wildlife Sanctuary in North side and Khokhan Wildlife sanctuary towards the East Side.

   (2) The boundary description and geo-coordinates of Nargu Wildlife Sanctuary and its Eco-sensitive Zone is appended in **Annexure-I.**

   (3) The maps of the Nargu Wildlife Sanctuary demarcating Eco-sensitive Zone along with boundary details and latitudes and longitudes are appended as **Annexure-IIA** and **Annexure-IIB.**

   (4) The list of geo-coordinates of the boundary of Eco-Sensitive Zone of Nargu Wildlife Sanctuary are given in **Annexure-III.**

   (5) The list of revenue villages inside the proposed Eco-sensitive Zone along with their geo coordinates at prominent points are given in **Annexure-IV.**

2. **Zonal Master Plan for Eco-sensitive Zone.-**(1) The State Government shall, for the purposes of the Eco-sensitive Zone prepare a Zonal Master Plan within a period of two years from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in consultation with the local people and adhering to the stipulations given in this notification for approval of the competent authority of State.

   (3) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with

the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

(4) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with the following Departments of the State Government, for integrating the ecological and environmental considerations into the said plan,namely:-

(i) Environment;

(ii) Forest and Wildlife;

(iii) Urban Development;

(iv) Tourism;

(v) Municipal Department;

(vi) Revenue Department;

(vii) Agriculture;

(viii) Rural Development;

(ix) Irrigation and Flood Control;

(x) Himachal State Pollution Control Board;

(xi) Panchayati Raj; and

(xii) Public Works Department.

(5) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

(6) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

(7) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, villages and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies with supporting maps giving details of existing and proposed land use features.

(8) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone and adhere to prohibited and regulated activities listed in the Table in paragraph 4 and also ensure and promote eco-friendly development for security of local communities' livelihood.

(9) The Zonal Master Plan shall be co-terminus with the Regional Development Plan.

(10) The Zonal Master Plan so approved shall be the reference document for the Monitoring Committee for carrying out its functions of monitoring in accordance with the provisions of this notification.

3. Measures to be taken by the State Government.—The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

(1) Land use.–(a) Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or residential or industrial activities:

Provided that the conversion of agricultural and other lands, for the purposes other than that specified at part (a) above, within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the competent authority under the Regional Town Planning Act and other rules and regulations of the Central Government or State Government as applicable and *vide*

provisions of this Notification, to meet the residential needs of the local residents and for activities such as:-

(i) widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;

(ii) construction and renovation of infrastructure and civic amenities;

(iii) small scale industries not causing pollution;

(iv) cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stay; and

(v) promoted activities given under paragraph 4:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the competent authority under the Regional Town Planning Act and other rules and regulations of the State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph.

(b) Efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas with afforestation and habitat restoration activities.

(2) Natural water bodies.-The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.

(3) Tourism or Eco-tourism.- (a) All new eco-tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan for the Eco-sensitive Zone.

(a) The Eco-Tourism Master Plan shall be prepared by the State Department of Tourism in consultation with State Departments of Environment and Forests.

(b) The Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan.

(c) The Tourism Master Plan shall be drawn based on the study of carrying capacity of the Eco-sensitive Zone.

(d) The activities of eco-tourism shall be regulated as under, namely:-

(i) new construction of hotels and resorts shall not be allowed within one kilometre from the boundary of the protected area or upto the extent of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer:

Provided that beyond the distance of one kilometre from the boundary of the protected area till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be allowed only in pre-defined and designated areas for eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan;

(ii) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by National Tiger Conservation Authority (as

amended from time to time) with emphasis on eco-tourism, eco-education and eco-development;

(iii) until the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee and no new hotel, resort or commercial establishment construction shall be permitted within Eco-sensitive Zone area.

(4) Natural heritage.- All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and a heritage conservation plan shall be drawn up for their preservation and conservation as a part of the Zonal Master Plan.

(5) Man-made heritage sites.- Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be identified in the Eco-sensitive Zone and heritage conservation plan for their conservation shall be prepared as part of the Zonal Master Plan.

(6) Noise pollution. - Prevention and control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone shall be complied in accordance with the provisions of the Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000 under the Environment Act.

(7) Air pollution.- Prevention and control of air pollution in the Eco-sensitive Zone shall be compiled in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and the rules made thereunder.

(8) Discharge of effluents.- Discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the General Standards for Discharge of Environmental Pollutants covered under the Environment Act and the rules made thereunder or standards stipulated by State Government whichever is more stringent.

(9) Solid wastes.- Disposal and Management of solid wastes shall be as under:-

(a) the solid waste disposal and management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Solid Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number S.O. 1357 (E), dated the 8th April, 2016; the inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone;

(b) safe and Environmentally Sound Management (ESM) of Solid wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco-sensitive Zone.

(10) Bio-Medical Waste.– Bio Medical Waste Management shall be as under:-

(a) the Bio-Medical Waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Bio-Medical Waste Management, Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R 343 (E), dated the 28th March, 2016.

(b) safe and Environmentally Sound Management of Bio-Medical Wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within the Eco-sensitive Zone.

(11) Plastic waste management.- The plastic waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 340(E), dated the 18th March, 2016, as amended from time to time**.**

(12) Construction and demolition waste management.- The construction and demolition waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of

the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 317(E), dated the 29th March, 2016, as amended from time to time.

(13) E-waste.- The e - waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the E-Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, as amended from time to time.

(14) Vehicular traffic.– The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time the Zonal Master plan is prepared and approved by the Competent Authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

(15) Vehicular pollution.- Prevention and control of vehicular pollution shall be incompliance with applicable laws and efforts shall be made for use of cleaner fuels.

(16) Industrial units.– (i) On or after the publication of this notification in the Official Gazette, no new polluting industries shall be permitted to be set up within the Eco-sensitive Zone.

(ii) Only non-polluting industries shall be allowed within the Eco-sensitive Zone as per the classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, unless so specified in this notification, and in addition, the non-polluting cottage industries shall be promoted.

(17) Protection of hill slopes.- The protection of hill slopes shall be as under:-

(a) the Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where no construction shall be permitted;

(b) construction on existing steep hill slopes or slopes with a high degree of erosion shall not be permitted.

4. List of activities prohibited or to be regulated within Eco-sensitive Zone.- All activities in the Eco sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment Act and the rules made there under including the Coastal Regulation Zone, 2011 and the Environmental Impact Assessment Notification, 2006 and other applicable laws including the Forest (Conservation) Act, 1980 (69 of 1980), the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927), the Wildlife (Protection) Act, 1972 (53 of 1972) and amendments made thereto and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

TABLE

S. No. (1)	Activity (2)	Description (3)
	A. Prohibited Activities	
1.	Commercial mining, stone quarrying and crushing units.	(a) All new and existing mining (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units shall be prohibited with immediate effect except for meeting the domestic needs of bona fide local residents including digging of earth for construction or repair of houses within the Eco Sensitive Zone; (b) The mining operations shall be carried out in accordance with the order of the Hon'ble Supreme Court dated the 4th August, 2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995 and dated the 21st April, 2014 in the

		matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012.
2.	Setting of industries causing pollution (Water, Air, Soil, Noise, etc.).	New industries and expansion of existing polluting industries in the Eco-sensitive Zone shall not be permitted: Provided that non-polluting industries shall be allowed within the Eco-sensitive Zone as per classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, unless otherwise specified in this notification and in addition the non-polluting cottage industries shall be promoted.
3.	Establishment of major hydro-electric project.	Prohibited.
4.	Use or production or processing of any hazardous substances.	Prohibited.
5.	Discharge of untreated effluents in natural water bodies or land area.	Prohibited.
6.	Setting up of new saw mills.	New or expansion of existing saw mills shall not be permitted within the Eco-sensitive Zone.
7.	Setting up of brick kilns.	Prohibited.
8.	Commercial use of firewood.	Prohibited.
9.	Use of polythene bags.	Prohibited.
10.	Fishing and Hunting.	Prohibited.
B. Regulated Activities		
11.	Commercial establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometer of the boundary of the protected area or upto the extent of Eco-sensitive Zone, whichever is nearer, except for small temporary structures for eco-tourism activities: Provided that, beyond one kilometer from the boundary of the protected area or upto the extent of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer, all new tourist activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism Master Plan and guidelines as applicable.
12.	Construction activities.	(a) New commercial construction of any kind shall not be permitted within one kilometer from the boundary of the protected area or upto extent of the Eco-sensitive Zone, whichever is nearer: Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their use including the activities mentioned in sub-paragraph (1) of paragraph 3 as per building bye-laws to meet the residential needs of the local residents. Provided further that the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall

		be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per applicable rules and regulations, if any. (b) Beyond one kilometer it shall be regulated as per the Zonal Master Plan.
13.	Small scale non polluting industries.	Non polluting industries as per classification of industries issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016 and non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous materials from the Eco-sensitive Zone shall be permitted by the competent Authority.
14.	Felling of trees.	(a) There shall be no felling of trees in the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the Competent Authority in the State Government. (b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made thereunder.
15.	Collection of Forest produce or Non-Timber Forest produce.	Regulated as per the applicable laws.
16.	Erection of electrical and communication towers and laying of cables and other infrastructures.	Regulated under applicable laws (underground cabling may be promoted).
17.	Infrastructure including civic amenities.	Taking measures of mitigation as per the applicable laws, rules and regulations available guidelines.
18.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	Taking measures of mitigation as per the applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
19.	Undertaking other activities related to tourism like flying over the Eco-sensitive Zone area by hot air balloon, helicopter, drones, Microlites, etc.	Regulated as per the applicable laws.
20.	Protection of hill slopes and river banks.	Regulated as per the applicable laws.
21.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose under applicable laws.
22.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Permitted as per the applicable laws for use of locals.
23.	Establishment of large-scale commercial livestock and poultry farms by firms,	Regulated (except otherwise provided) as per the applicable laws except for meeting local needs.

	corporate and companies.	
24.	Discharge of treated waste water or effluents in natural water bodies or land area.	The discharge of treated waste water or effluents shall be avoided to enter into the water bodies and efforts shall be made for recycle and reuse of treated waste water, otherwise the discharge of treated waste water or effluent shall be regulated as per the applicable laws.
25.	Commercial extraction of surface and ground water.	Regulated as per the applicable laws.
26.	Solid waste management.	Regulated as per the applicable laws.
27.	Introduction of exotic species.	Regulated as per the applicable laws.
28.	Eco-tourism.	Regulated as per the applicable laws.
29.	Commercial sign boards and hoardings.	Regulated as per the applicable laws.
30.	Tracking and camping.	Regulated as per the applicable laws.
31.	Photography commercial.	Regulated as per the applicable laws.
C. Promoted Activities		
32.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
33.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
34.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
35.	Cottage industries including village artisans, etc.	Shall be actively promoted.
36.	Use of renewable energy and fuels.	Bio-gas, solar light etc. shall be actively promoted.
37.	Agro-Forestry.	Shall be actively promoted.
38.	Plantation of Horticulture and Herbals.	Shall be actively promoted.
39.	Use of eco-friendly transport.	Shall be actively promoted.
40.	Skill Development.	Shall be actively promoted.
41.	Restoration of degraded land or forests or habitat.	Shall be actively promoted.
42.	Environmental awareness.	Shall be actively promoted.
43.	Fencing of premises of hotels and lodges.	Shall be promoted.
44.	Religious tracking.	Shall be promoted.

5. **Monitoring Committee for Monitoring the Eco-sensitive Zone Notification.-** For effective monitoring of the provisions of this notification under sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986, the Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee, comprising of the following, namely:-

Sr. No.	Constituent of the Monitoring Committee	Designation
(i)	Chief Conservator of Forest or Conservator of Forest, Mandi (Whosoever is holding the charge)	Chairman;
(ii)	Chief Conservator of Forest or Conservator of Forest , Kullu (Whosoever is holding the charge)	Co-Chairman;
(iii)	A representative of Non-governmental Organization working in the field of wildlife conservation to be nominated by the State Government.	Member ;
(iv)	Regional Executive Engineer of State Pollution Control Board	Member ;
(v)	Senior Town Planner of the area	Member;
(vi)	One expert in Ecology and Environment to be nominated by State	Member;
(vii)	One expert in Biodiversity to be nominated by the State Government	Member;
(viii)	Divisional Forest Officer, Kullu	Member;
(ix)	Divisional Forest Officer (Wildlife) Kullu	Member;
(x)	Divisional Forest Officer, Jogindernagar	Member;
(xi)	Divisional Forest Officer, Mandi	Member Secretary.

6. Terms of reference. – (1) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this notification.

(2) The tenure of the Monitoring committee shall be till further orders, provided that the non-official members of the Committee shall be nominated by the State Government from time to time.

(3) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under **paragraph 4** thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.

(5) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Deputy Commissioner(s) shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment Act, against any person who contravenes the provisions of this notification.

(6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from industry associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

(7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on the 31st March of every year by the 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden in the State as per proforma appended at **Annexure V**.

(8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

7. Additional measures.- The Central Government and the State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to the provisions of this notification.

8. Orders of Supreme Court, etc.- The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any passed or to be passed by the Hon'ble Supreme Court of India or the High Court or the National Green Tribunal.

[F. No. 25/176/2015-ESZ-RE]

TANMAY KUMAR, Addl. Secy.

ANNEXURE- I

TABLE: BOUNDARY DESCRIPTION OF NARGU WILDLIFE SANCTUARY AND ITS ECO-SENSITIVE ZONE IN THE STATE HIMACHAL PRADESH

North : Eco-sensitive Zone is not proposed on north side as it is continuous with Dhouladhar Widlife Sanctuary however, the boundary of Nargu WLS start from Chakrola Thach and moves along south west boundary of Dhouladhar Wildlife Sanctuary along district boundary upto Ghralitinu Galu.

Geo-coordinates: Lat 32^0 02' 58.042" Long 76^0 52'5.991"

Lat 32^0 06' 36.803" Long 76^0 58'49.573".

South : The boundary start from Kandi Galu moves to northern side of Kandi village and downward with a small nalla and join Dulchi nalla boundary moves northern side of Matiyana village then moves 1600 meters. Contour upto Baraun Nalla.

Geo-coordinates: Lat 31^0 49' 46.841" Long 77^0 04' 54.074"

Lat 31^0 48' 35.52" Long 77^0 02' 46.257"

East : The boundary start from Ghralitinu Galu moves downward along small nalla then moves along 2800 meters. Contour and moves downward small nalla join Sarwari khad then moves downward Sarwari khad than moves along path boundary moves upward small nalla moves to western boundary of Smalang village, Tiun village, Drljig village, Kadincha village, Samana village, Sagochag village Baidharang village, Krashing village, Kashamti village, Telang, Dail village then moves upward with small nalla and moves 2600 meters contour moves small nalla downward to western boundary of Khopri village, Margan village, Jonga village along forest boundary Maring PF then Moves to Mulagthana PF the boundary moves western side of Bousu village, Bhakhri village, Pah village Sapaka village then moves Khokhan Wildlife Sanctuary boundary upto Kandi Galu.

Geo-coordinates: Lat 32^0 06' 36.803" Long $76^0$58' 49.573"

Lat 32^0 02' 6.634" Long $76^0$59' 42.926"

Lat 31^0 54' 18.948" Long $77^0$04' 0.646"

Lat 31^0 49' 46.841" Long $77^0$04' 54.074"

West :The boundary start from Baraun Nalla moves eastern boundary of Baraun village along the path of eastern boundary of Shanar village, Seri village Bharyanu village, Brari village boundary moves down ward a small nalla and join Shera ra nalla and moves upward the nalla and moves the northern boundary of Gartanu village, Gharaun village and boundary moves along path SOI bench mark 2453 meters along ridge of eastern side of Darun village, Shugha village upward with a Nalla and boundary moves 2600 meters. Contour then moves the village path SOI bench mark 2321 meters then moves along small nalla western side of Bhadwani village, Kartang village and moves along path north side of Aolgwar village and moves the village path eastern side of Daint village, Damwan village and moves along 2200 meters. Contour then eastern side of Tegar village and boundary moves along village path along with nalla and then moves 2400 meters contour of northern side of Terang village then moves village path and then moves along 2740 meters. Contour and then moves northern side of Lthran village and moves 2200 meters contour join Jhakwan Ghar Nalla and then boundary moves along path of Banjasgarh village and then moves southern boundary of Bangjasgarh village then moves along

the path and moves along contour 1720 meters. Then moves upward a small nalla and boundary moves of district boundary of Mandi and Kangra upto Chakrola Thach.

Geo-coordinates: Lat 31^0 48' 35.52" Long $77^0$02' 46.257"

Lat 31^0 53' 26.734" Long $77^0$0' 22.924"

Lat 31^0 58' 19.493" Long $76^0$55' 42.718"

Lat 32^0 01' 43.423" Long $76^0$51' 20.24"

Lat 32^0 02' 58.042" Long $76^0$52' 5.991"

ANNEXURE- IIA

MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF NARGU WILDLIFE SANCTUARY ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS ON SURVEY OF INDIA (SOI) TOPOSHEET

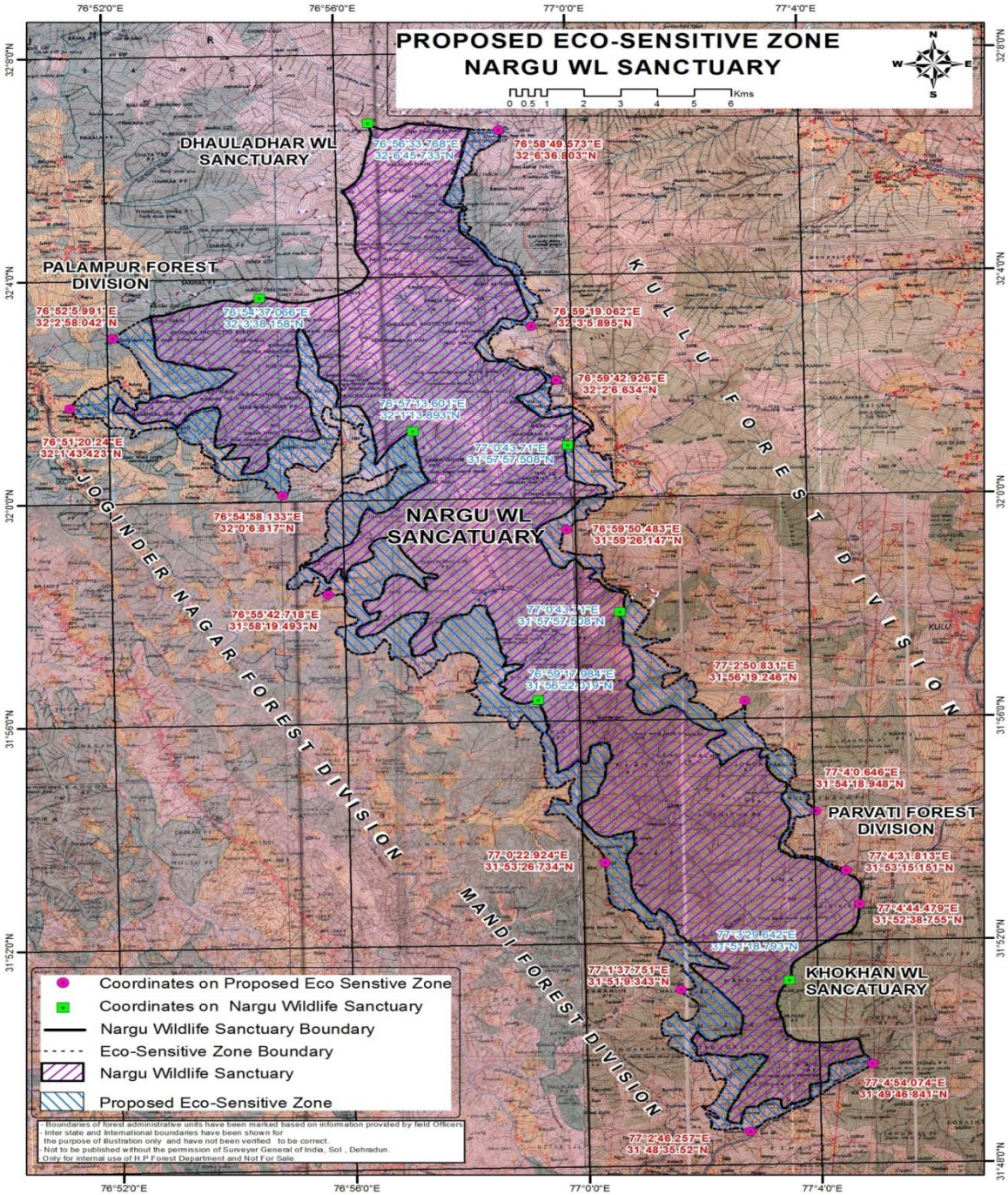

ANNEXURE- IIB

MAP SHOWING LANDUSE PATTERN OF ECO-SENSITIVE ZONE OF NARGU WILDLIFE SANCTUARY ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS

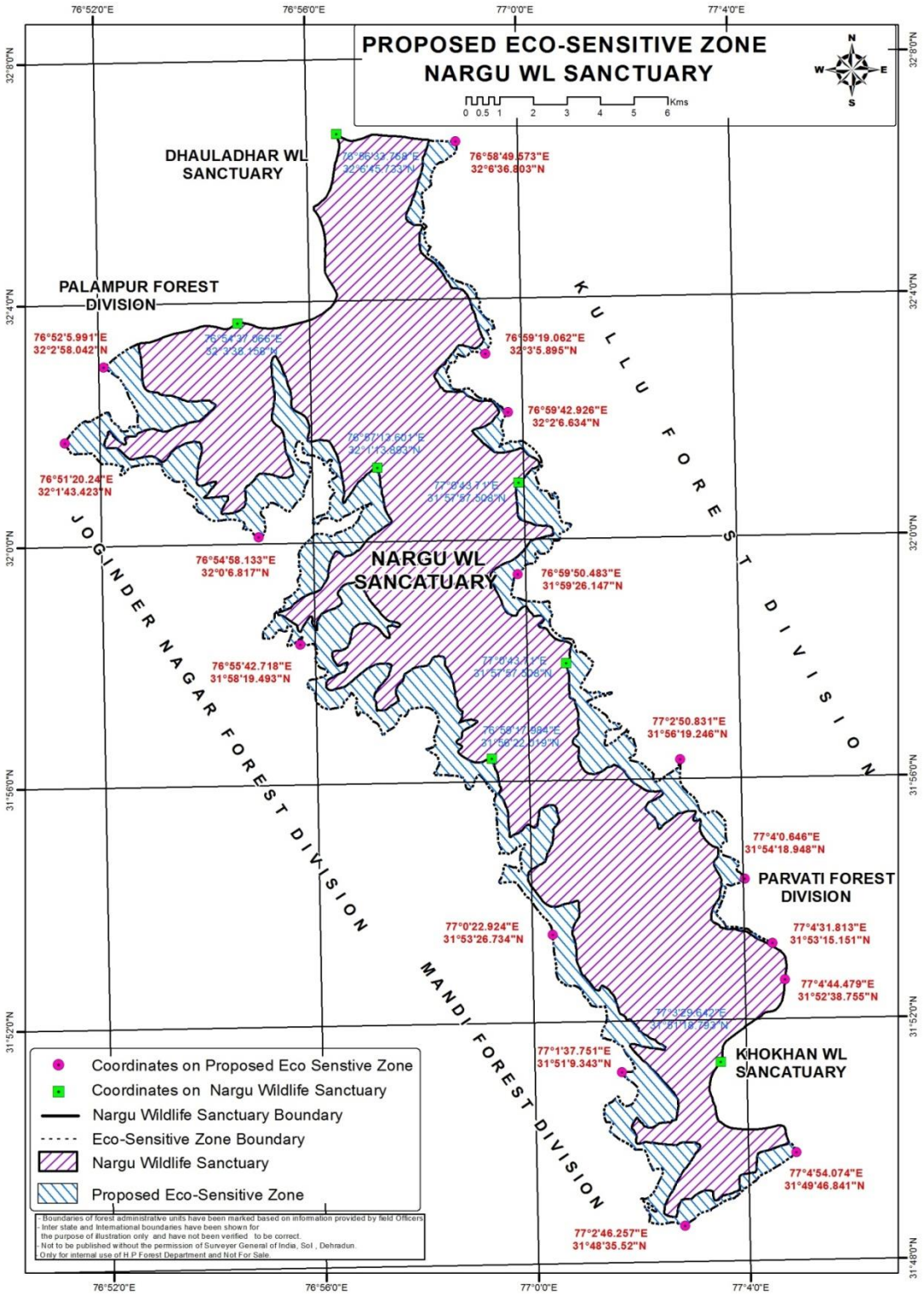

ANNEXURE-III

GEO- COORDINATES OF PROMINENT LOCATIONS OF ECO-SENSITIVE ZONE OF NARGU WILDLIFE SANCTUARY

	Longitude (E)	Latitude (N)	Description (Landmarks)
North	76^0 52' 5.991" 76^0 58' 49.573"	32^0 02' 58.042 32^0 06' 36.803	Chakrola thach to Ghralitinu Galu along Dhauladhar Wildlife Sanctuary and District boundary
South	77^0 04' 54.074" 77^0 02' 46.257"	31^0 49' 46.841" 31^0 48' 35.52"	Kandi Galu, Dulci nala,1600 meters contour line upto Baraun nala
East	76^0 58' 49.573" 76^0 59' 42.926" 77^0 04' 0.646" 77^0 04' 54.074"	32^0 06' 36.803 32^0 02' 6.634 31^0 54' 18.948" 31^0 49' 46.841"	Contour line 2800 meters and 2600 meters, Marig, Mulganthana, then along Khokhan Wildlife Sanctuary boundary upto Kandi Galu
West	77^0 02' 46.257" 77^0 0' 22.924" 76^0 55' 42.718" 76^0 51' 20.24" 76^0 52' 5.991"	31^0 48' 35.52" 31^0 53' 26.734" 31^0 58' 19.493" 32^0 01' 43.423" 32^0 02' 58.042"	Baraun nala, Ser nala, Survey of India benchmark 2453, 2321, contour line 2200, 2400, 27401720 meters, then along district boundary of Mandi and kangra upto Chakrola thach

ANNEXURE-IV

A. LIST OF VILLAGES COMING UNDER ECO-SENSITIVE ZONE OF NARGU WILDLIFE SANCTUARY ALONG WITH GEO-COORDINATES

Division	S. No.	Village Name	Latitude	Longitude
Jogindernagar	1	Kashamal	32^0 01' 517"N	76^0 51' 524"E
	2	Terang	32°58' 648"N	76^0 55' 476"E
	3	Tegar	31^0 58' 964"N	76^0 55' 014"E
	4	Samalang	31^0 58' 648"N	76^0 55' 941"E
	5	Garhgaun	31^0 58' 398"N	76^0 55' 984"E
	6	Kungri	31^0 56' 981"N	76^0 57' 320"E
Parbati		Nil		
Kullu		Nil		
Mandi	1	Kot	31^0 52. 245"N	077^0 01.438"E
	2	Padhar	31^0 52.208"N	077^0 01.430"E
	3	Lehri	31^0 52.003"N	077^0 01.577"E
	4	Kumahardu	31^0 51.812"N	077^0 01.370"E
	5	Mandra	31^0 52.005"N	077^0 01.577"E
	6	Bharari	31^0 51.660"N	077^0 01.625"E
	7	Badaun	31^0 49.463"N	077^0 01.769"E

	8	Mathiana	31^0 48.445”N	077^0 02.450”E
	9	Sharang	31^0 48.532”N	077^0 02.469”E
	10	Kundak	31^0 49.123”N	077^0 03.038”E
	11	Kandhi	31^0 49.688”N	077^0 04.863”E

B. AREA DESCRIPTION OF ECO-SENSITIVE ZONE AROUND NARGU WILDLIFE SANCTUARY AREA GIVEN AS: -

Sr. No.	Name of Forest	No. Of Compartments	Area (in sq km)
1	2/57 Pheti Mail	C-1,C-II (Part)	0.335
2	2/61 Marig	C-1-C-IV(Part)	0.565
3	Mangarh-III	(Part)	4.900
4	Choprasa-III	(Part)	1.750
5	Tarapur-III	(Part)	3.600
6	Maharaja-III	(Part)	1.10
7	Lambachak and revenue land	(Part)	3.0050
8	Terang and Richunal and revenue land		1.8125
9	Daintnal and revenue land		2.1350
10	Kungri		3.2275
11	Wangan		1.7725
12	Khaban and revenue land		0.9950
13	Graman and Kharyan		6.8750
14	Garhgaon and revenue land		3.1975
15	Kashmalshil village	(Part)	1.4300
16	Govt waste land and revenue land	(Part)	1.0600
17	Shagnal	Whole	0.8097
18	Chunchal	Whole	0.6070
19	Bara	Whole	1.1600
20	Himgarh and Revenue land	Part	0.8750
21	Badaun and Revenue land	Part	1.9050
22	Hathipur	Part	2.4755
23	Hirbannal and Revenue land		
24	Phungandhar		
25	Shagnal and Revenue land	Part	1.2528
26	Chalaudhar	Part	0.8775
27	New Mandra and Revenue land	Part	0.7725
28	Kandi and Revenue land	Part	1.5475
		G.Total	**50.0425**

ANNEXURE –V

Performa of Action Taken Report:

1. Number and date of meetings.
2. Minutes of the meetings: (mention noteworthy points. Attach minutes of the meeting as separate Annexure).
3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan.
4. Summary of cases dealt with rectification of error apparent on face of land record (Eco-sensitive Zone wise). Details may be attached as Annexure.
5. Summary of cases scrutinised for activities covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006 (Details may be attached as separate Annexure).
6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006 (Details may be attached as separate Annexure).
7. Summary of complaints lodged under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986.
8. Any other matter of importance.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2022.03.25 22:50:09 +05'30'